



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016  
☎ (0755) 2464428, 2466191, e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

75  
आज़ादी का  
अमृत महोत्सव

क्रमांक

/तक/एक्सजीएन/प्रनिबो/2022

भोपाल, दिनांक

**-: कार्यालय आदेश :-**

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय आदेश क्रमांक 1075 दिनांक 31/03/2022 के द्वारा दिनांक 01/04/2022 से रु. 50 करोड़ से कम लागत वाले उद्योगों हेतु सम्मति आवेदन करने की समय-सीमा न्यूनतम 5 वर्ष निर्धारित की गई थी। खदानों /स्टाक यार्ड के प्रकरण में वैध लीज अवधि रहती है, जो ज्यादातर 5 वर्ष से कम होती है। उपरोक्त कारणों से खदान/स्टाक यार्ड के सम्मति आवेदन करने की समय-सीमा वैध लीज अवधि को ध्यान में रखते हुए down grade करते हुए सम्मति आवेदन पत्र की स्कूटनी कर स्वीकृत किये जायें।

*Sd/-*

(ए.ए. मिश्रा)

सदस्य सचिव

पृ.क्रमांक <sup>2495</sup> /तक/एक्सजीएन/प्रनिबो/2022  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 01-6-2022

1. निज सचिव, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त आंचलिक अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी/यूनिट हेड मुख्यालय/स्कूटनी सदस्य, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,..... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. नोटिस बोर्ड/गार्ड फाईल/प्रभारी, आई.टी. शाखा ।

*Ashwini*  
(ए.ए. मिश्रा)  
सदस्य सचिव